राजस्व अपील संख्या 190 / 2023

अनवान

विजयसिंह बनाम राज्य

दिनांक 19.06.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट की ओर से श्री सुगनमल परिहार, अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पो0 संख्या 02 की ओर से श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता केविएट अधिवक्ता के रूप में उपस्थित हुए। उपस्थित अधिवक्तागण को अपील पर की गई बहस को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधिवक्तागण की बहस सुनने एवं पत्रावली / दस्तावेजों का अवलोकन एवं विवेचन किया गया जिससे पाया गया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लोहावट के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 10 / 2023 अनवान ओमप्रकाश वगैराह बनाम तहसीलदार लोहावट मे पारित निर्णय दिनांक 20.04.2023 में ग्राम रामेदवनगर के ख0सं0 402 / 11 रकबा 0.0890 हैक्टर, ख0सं0 402 / 3 रकबा 2.9947 हैक्टर, ख0सं0 402 रकबा 4. 2006 हैक्टर भूमि की पैमाइश पक्षकारों की उपस्थिति में करवाकर तत्पश्चात राजस्व टीम गठित कर शान्ति व्यवस्था के लिये पुलिस इमदाद के साथ उक्त खसरान की विधिवत पत्थरगढी करवाई जाने के आदेश पारित किये है।

पक्षकारो की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओ ने बहस के दौरान सहमति में बताया कि उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे तहसीलदार लोहावट से खसरा संख्या 402 व खसरा संख्या 402 मि. की भूमि की पहले पैमाईश कराने एवं उसके बाद पत्थरगढी करने का निवेदन किया गया। उक्तानुसार बहस व दस्तावेज के विवेचन विश्लेषण पश्चात तहसीलदार लोहावट को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम रामेदवनगर के ख0सं0 402 व 492 मि. के समस्त खसरों के हितबद्ध खातेदारों को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में पहले विधिवत पैमाइश करवाई जाकर उसके आधार पर यदि आवश्यक हो तो नियमानुसार पत्थरगढी की कार्यवाही की जावे। पत्रावली बाद निर्णय नम्बर से कम की जावें।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

जोधपुर